न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार शर्मा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

आपराधिक विविध सं0 : 116/2026

(सीआईएस नं0 210/2026 एवं CNR No. RJBR01000569-2026)

विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार पुत्र विजय सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी नदोला का पुरा थाना अम्बाह जिला मुरैना (म0प्र0) —प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राज0 राज्य जरिये लोक अभियोजक, बारां (राज0) —अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**
एफ0आई0आर0 नं0 86/2025 थाना कस्बाथाना
धारा 309 (6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः—

1— श्री यतेन्द्र गौतम, अधिवक्ता—प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2— श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक— राज्य की ओर से।

——:: **आदेश** ::—— **दिनांक : 01.04.2026**

1— प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्ण सिंह परमार की ओर से धारा **483 बी0एन0एस0एस0** के अन्तर्गत यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पुलिस थाना कस्बाथाना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 86/2025 अन्तर्गत धारा 309 (6), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के सन्दर्भ में उसका जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 बी0एन0एस0एस विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहबाद द्वारा दिनांक 16.03.2026 को खारिज किये जाने के उपरान्त इस न्यायलय में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिनकी ओर से केस डायरी पेश हुई।

2— श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां अवकाश पर होने के कारण यह जमानत आवेदन मुझ विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा (अ0नि0) प्रकरण, बारां के समक्ष बतौर लिंक अधिकारी सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रस्तुत हुआ है।

3— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादी मोतीलाल ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 30.08.2025 को कस्बाथाना के डीलर जैन होण्ड शोरूम से एक मोटरसाईकिल होण्डा साईन 100 को 81,000/—रूपये में खरीदा था, बिल कट गया तथा मोटरसाईकिल के आर.सी. नंबर आर.जे. 28 एस.एफ. 7072 है। दिनांक 31.08.2025 को वह मांगीलाल के साथ घरेलु सामान लेने मोटरसाईकिल से कस्बाथाना आये। मोटरसाईकिल मांगीलाल चला रहा था। वे सामान लेकर शाम के 6 बजे ध्रब घटा आगर रोड जंगल व खेत के पास पहुंचे तो तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर

खडे थे। जिन्होंने हाथ का इशारा देकर उन्हें रूकवाया तो मांगीलाल ने मोटरसाईकिल रोक दिया तथा उनसे अमरोद गांव जाने का रास्ता पूछकर बातों में लगा दिया तथा दो व्यक्ति उसकी मोटरसाईकिल को लेकर कस्बाथाना की तरफ भाग गये, जिनका उन्होंने काफी पीछा किया लेकिन पकड में नहीं आये। तब से ही उसने मोटरसाईकिल की तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। न जाने कौन बदमाश उन्हें बातों में लगाकर मोटरसाईकिल को चुराकर ले गये, मोटरसाईकिल में चाबी लगी हुई थी....इत्यादि।

4— उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना कस्बाथाना पर एफआईआर संख्या 86/2025 अंतर्गत धारा 303(2) बी0एन0एस0 में दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 309 (6), 317 (2) बी0एन0एस0 का अपराध बनना पाया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जैरकार है।

5— केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न होना बताया गया हैः—

क्र0सं0	मुकदमा नं0	धारा	थाना
01	467/2005	323, 324, 504, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
02	177/2006	379 भा0दं0सं0	अम्बाह
03	65/2007	379 भा0दं0सं0	अम्बाह
04	241/2009	452, 323, 294, 506—बी भा0दं0सं0	अम्बाह
05	408/2009	341, 323, 330, 294, 506—बी , 34 भा0. दं0सं0	अम्बाह
06	458/2009	25, 27 आर्म्स एक्ट	अम्बाह
07	379/2010	307, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
08	320/2011	8/15 एनडीपीएस एक्ट	निहालगंज धौलपुर
09	399/2012	341, 323, 294, 506 बी, 427, 34 भा0. दं0सं0, 3(1)द10 एससी/एसटी एक्ट	अम्बाह
10	488/2012	379 भा0दं0सं0	अम्बाह
11	179/2012	147, 148, 149, 307 भा0दं0सं0 व 25, 27 आर्म्स एक्ट	दिमनी
12	422/2014	379 भा0दं0सं0	थाना सिटी कोतवाली मुरैना
13	410/2015	323, 327, 294, 452, 506बी, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
14	426/2015	376(2)(जी), 366, 363, 506, 34 भा0दं0सं0, 7, 8 पोक्सो एक्ट, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट	अम्बाह
15	354/2019	327, 336, 294, 323, 506 भा0दं0सं0	अम्बाह
16	349/2019	336, 34 भा0दं0सं0	अम्बाह
17	70/2022	25, 27 आर्म्स एक्ट	सिंहोनिया
18	80/2024	25(1—एए) आर्म्स एक्ट	थाना सिरसी गुना
19	217/2024	25, 27 आर्म्स एक्ट	अम्बाह

20	310/2025	115–2, 296 बी0एन0एस0	अम्बाह
21	538/2025	25, 27 आर्म्स एक्ट	अम्बाह

6– बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, उसका घटना से कोई संबंध नहीं रहा है। फरियादी की मिथ्या रिपोर्ट पर दर्ज इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 29.01.2026 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब से प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के सह–अभियुक्तगण धर्मा उर्फ धर्मेन्द्र तथा रामलाल के जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2026 द्वारा स्वीकार किये जा चुके है। इसके उपरान्त प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त सुन्ना उर्फ सुनील का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2026 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा लगायी जाने वाली सभी शर्तो का कानून के अनुसार पालन करने को तैयार है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की।

7– वितर्क में विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 21 आपराधिक प्रकरण लंबित होना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का मामला अन्य अभियुक्तगण से भिन्न प्रकृति का होना बताते हुए उसका जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

9– रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार फरियादी मोतीलाल व मांगीलाल मोटरसाईकिल से सामान लेने कस्बाथाना आये तथा सामान लेकर शाम के 6 बजे करीब ध्रब घटा आगर रोड जंगल व खेत के पास पहुंचे तो तीन व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर खडे थे, जिन्होंने हाथ का इशारा देकर उन्हे रूकवाया और उन्हे बातों में लगाकर उसकी मोटरसाईकिल को लेकर कस्बाथाना की तरफ भाग जाने के आरोप हैं। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी की मोटरसाईकिल की लूट कारित करना बताया गया है जो अपने आप में गम्भीर प्रकृति का अपराध है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु सिंह परमार की सूचना पर लूटा गया एक मोबाईल एण्ड्रोइड ब्लैक रंग ओपो कम्पनी का बरामद हुआ है।

10– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क रहे हैं कि प्रकरण के सह–अभियुक्तगण धर्मा उर्फ धर्मेन्द्र तथा रामलाल के जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2026 द्वारा स्वीकार किये जा चुके है तथा इसके उपरान्त प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त सुन्ना उर्फ सुनील का जमानत आवेदन अन्तर्गत

धारा 483 बीएनएसएस इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2026 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह–अभियुक्त से भिन्न नहीं है। इस संबंध में विचारणीय तथ्य यह है कि केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार का जो आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार उसके विरूद्ध पूर्व के 21 आपराधिक प्रकरण लंबित होना बताये गए हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय **''श्रीभान बनाम राज0 राज्य, 2023 (3) आर.एल.डब्ल्यू. 1809 (राज0)''** में यह अवधारित किया गया है कि इस जमानत प्रार्थनापत्र की स्टेज पर अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर सह–अभियुक्त से भिन्न मामला माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में जहां प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के 21 आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, जिससे यह मामला सह–अभियुक्तगण धर्मा उर्फ धर्मेन्द्र, रामलाल एवं सुन्ना उर्फ सुनील से भिन्न होना प्रकट होता है।

11– उपरोक्तानुसार प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता तथा प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12– परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त विष्णु तोमर उर्फ विष्णु सिंह परमार पुत्र विजय सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बसंबंध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 86/2025 थाना कस्बाथाना)** एतद् **द्वारा अस्वीकार कर खारिज** किया जाता है।

(लोकेश कुमार शर्मा)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)

13– आदेश आज दिनांक **01.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार शर्मा)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)
(लिंक अधिकारी)